



905018

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IV 952/2022



Certificate No.

IN-UP40020402442303U

Certificate Issued Date

10-Nov-2022 08:08 PM

Account Reference

NEWIMPAGO (BV)/ up14441004/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN

Unique Doc. Reference

SUBIN-UPUP1444100406012014304038U

Purchased by

RAMPAL SAVITRI DEVI SEWA TRUST

Description of Document

Article 04 (A) Trust - Declaration of

Property Description

Not Applicable

Consideration Price (Rs.)

:

First Party

RAMPAL SAVITRI DEVI SEWA TRUST

Second Party

Not Applicable

Stamp Duty Paid By

RAMPAL SAVITRI DEVI SEWA TRUST

Stamp Duty Amount(Rs.)

1,000
(One Thousand only)

Please write or type below this line

गणपति नमो

अश्वमेध

Manager

Chandani Devi Sanshodhan Balika Inter College
Ujhani - Sadara

0013773464

VOID VOID VOID

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcllestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding
Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid
the terms of the certificate

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

जगपाल सिंह
पुत्र श्री रामपाल सिंह
निवासी-6बी/41, गढ़पुर-3,
आयास विकास कालोनी,
फर्रुखाबाद, उ0प्र0-209625,



अनुभव रस्तोगी
पुत्र श्री हरि ओम रस्तोगी
पता:-सी-40, सेक्टर-सी,
अलकापुरी कालोनी, अलीगंज
लखनऊ।



पवन कुमार
पुत्र श्री संतोष कुमार
पता: 60, ग्राम-कमलापुर,
पोस्ट-कुंआ खेड़ा, कुवा
खेरा, कानपुर
नगर, कुवान्खेरा, उ0प्र0।



अंजु चौधरी
Manager

Distt. & Dep. Sessions & District Court
Ujjain - Madhya Pradesh



स्टाम्प - ₹0 1000/-
परगना - लखनऊ

रामपाल सावित्री देवी सेवा ट्रस्ट

(RAMPAL SAVITRI DEVI SEWA TRUST)/न्यास-विलेख

यह न्यास-पत्र में जगपाल सिंह पुत्र श्री रामपाल सिंह निवासी-6बी/41, बड़पुर-3, आवास विकास कालोनी, फर्रुखाबाद, 3050-209625, जो कि "रामपाल सावित्री देवी सेवा ट्रस्ट (RAMPAL SAVITRI DEVI SEWA TRUST)" के संस्थापक/मुख्य न्यासी/अध्यक्ष के नाम से जाने जायेंगे।

इस लोक कल्याणकारी न्यास (ट्रस्ट) की स्थापना आज दिनांक 15.11.2022 को की गयी है। यह न्यास विलेख "रामपाल सावित्री देवी सेवा ट्रस्ट (RAMPAL SAVITRI DEVI SEWA TRUST)" के नाम से जाना जायेगा एवं इसकी स्थापना अधोलिखित उद्देश्यों से किया जा रहा है, जिस पर इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के समस्त नियम उपनियम लागू होंगे।

मुख्य न्यासी जगपाल सिंह, सत्यनिष्ठा व स्वविवेक से मु० ₹0 10,000/- (दस हजार रुपया मात्र) न्यास में जमा करके इस न्यास की स्थापना करता हूँ एवं इस ₹0 10,000/- (दस हजार रुपया मात्र) की धनराशि के साथ-साथ वे सभी धनराशि व सम्पत्तियाँ जो समय-समय पर अनुदान, अंशदान, उपहार, क्रय आदि से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या मेरे द्वारा या संस्थान, संगठन, संघ, सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा दी जायेगी उस पर न्यास का अधिपत्य होगा तथा वह न्यास की सम्पत्ति होगी किसी भी स्थिति में न्यास के उद्देश्य को पूरा करने के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत या निजी उपयोग में नहीं लाई जायेगी। उक्त सम्पत्ति के रख-रखाव हेतु एक न्यास फण्ड होगा जिसका उल्लेख रजिस्टर में अंकित किया जायेगा या बैंक खाते में जमा किया जायेगा।

क्रमशः

जगपाल सिंह

अंशदाता

Manager

Omaram Devi Sanshodhan Mandal Inter College
Ujhani - Budaun

मैं जगपाल सिंह एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यासी नियुक्त करता हूँ:-

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पिता का नाम	पता	पदनाम	व्यवसाय
1.	सतोष गुप्ता सिंह	श्री राम चरण सिंह	फिजाबाद रोड, मिनाट शंकर आटा चक्की, गुणा नगर, नाका, सतारिख, नवाबगंज, बाराबंकी, उ०प्र० 225001	रायिय	व्यापार
2	पंकज गुप्ता	श्री अरुण गुप्ता	ई2, प्रथम व द्वितीय तल, ग्रीन पार्क विस्तार, हज खास साउथ, दिल्ली 110016	कोषाध्यक्ष	व्यापार
3	अंजू चौहान	श्री लल्लू सिंह	322, अयोध्यागंज, पोस्ट-उझानी, ग्रामीण-बदौंचू, उ०प्र० 243639	सदस्य	व्यापार
4	सत्यपाल सिंह	श्री राम पाल सिंह	6बी/41, बड़पुर-3, आवास विकास कालोनी, फर्रुखाबाद, उ०प्र०-209625	सदस्य	कृषि
5	रवि शंकर बघेल	श्री लाल राम बघेल	न्यू देवा रोड, के डी पैलेस, अभय नगर, नवाबगंज, बाराबंकी, उ०प्र० 225001	सदस्य	व्यापार
6	गोपाल सिंह	श्री अमर पाल सिंह	41, ग्राम-जमरौली, पोस्ट-बरसुआ, जिला-बदायूँ, उ०प्र० 243369	सदस्य	व्यापार

न्यास का नाम :- "रामपाल सावित्री देवी सेवा ट्रस्ट (RAMPAL SAVITRI DEVI SEWA TRUST)"

न्यास का स्थायी पता: फ्लैट नं०-208, श्री कृष्णा अपार्टमेंट, गणेशपुर रहमानपुर, थाना व पोस्ट-चिनहट, लखनऊ, उ०प्र०-226028, उक्त फ्लैट की स्वामिनी अंजू चौहान ट्रस्ट की सदस्या है।

न्यासकर्ता:-

जगपाल सिंह

न्यास का कार्यक्षेत्र:-

सम्पूर्ण भारतवर्ष व विश्व होगा।

जगपाल सिंह
७

क्रमशः

अ. वि. वि.
Manager

Chandni Devi Samadhi Baita Inter Coll.
Ujjain - Madhya

न्यास का स्वरूप:- यह न्यास एक समाजिक संस्था है।

न्यास का संविधान/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति:- उपरोक्त वर्णित संस्था न्यास के उद्देश्यों को पूरा करने व न्यास के कार्य संपादन करने के लिए न्यासीगण द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा किसी बैंक में खाता खोलेंगे, जिसमें न्यास फंड का पैसा जमा होगा एवं खाते का संचालन संस्थापक/मुख्य न्यासी के द्वारा किया जायेगा।

प्रबंध समिति में न्यासी को शामिल करने का निर्णय न्यासी मण्डल करेगा किन्तु मृत्यु न होने की दशा में संस्थापक/अध्यक्ष स्वयं अपने निर्णय से न्यासी नियुक्त कर सकता है।

न्यास के क्रिया कलापों के बारे में संस्थापक/अध्यक्ष अन्य सदस्यों से विचार विमर्श करके निर्धारण करेगा किन्तु सदस्यों के विचार व सलाह किसी भी तरह (संस्थापक/अध्यक्ष) पर बाध्यकारी नहीं होगा।

समस्त न्यासीगण जैसा उचित समझे उन्हें न्यास की इस विलेख द्वारा की जा रही व्यवस्था को परिवर्तन करने, रूपान्तरण करने एवं न्यास को रूपान्तरित करने का अधिकार संस्थापक/अध्यक्ष की सहमति से होगा। किन्तु प्रत्येक परिवर्तन, रूपान्तरण एवं परिवर्धन का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

न्यास में न्यासियों की संख्या न्यूनतम 2 होगी।

न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास की चल-अचल सम्पत्ति पट्टे पर देने, विक्रय करने व किराये पर देने एवं न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं को विक्रय करने पट्टे पर देने, दान आदि देने का अधिकार मुख्य न्यासी का होगा।

यदि आवश्यकता हो तो संस्थापक/अध्यक्ष न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उप समिति का गठन कर सकता है नव गठित उपसमिति संस्थापक/अध्यक्ष /न्यासी मण्डल के प्रति उत्तरदायी होगी।

न्यास द्वारा लाये गये वादों या न्यास पर लाये गये वादों की पैरवी हेतु अधिवक्ता या प्रतिनिधि करने की जिम्मेदारी व अधिकार मुख्य न्यासी/प्रबन्धक की होगी।

अध्यक्ष

क्रमशः

अध्यक्ष
Manager

Dhanwati Devi Saraswati Balika Inter College
Ujhani - Deoria

(5)

न्यास के कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों नियुक्ति का अधिकार प्रबन्धक को होगा एवं : धनदाशि का निर्धारण प्रबन्धक न्यासी मण्डल की

वर्तमान समय में कोई भी अचल सम्पत्ति ट्र रही है। विषटन की दशा में ट्रस्ट की समस्त चल उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले ट्रस्ट/संस्था में निहित

किस्मी भी न्यासी के मृत्यु के पश्चात् मुख्य व्यक्ति या मुख्य न्यासी का उत्तराधिकारी ही न्य मुख्य न्यासी अपने जीवन काल में मुख्य न्यासी नामित कर सकता है।

न्याय या न्यास द्वारा संचालित संस्था/संस्था न्यासी द्वारा किया जायेगा मुख्य न्यासी ही न्यास संस्थाओं का प्रबन्धक/एमडीओ होगा।

मुख्य न्यासी/प्रबन्धक द्वारा लिए गये सभी न्यासी मण्डल द्वारा लिया जायेगा। मृत्यु होने की एक सदस्य मण्डल के सदस्यों की सहमति आवश्यक

न्यासी मण्डल की त्रैमासिक अर्धवार्षिक आवश्यकतानुसार मुख्य न्यासी द्वारा आहूत की उ

ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को यह अधिकार होगा संचालित संस्थाओं को देख देख करें और उत्तर कागजातों आदि का निरीक्षण करें और उसके नि भी आर्डीटर की नियुक्ति आवश्यकतानुसार करें।

न्यास मण्डल की वे : बुलाना और उ



Scanned with OKEN Scanner

Dharmraj Devi Sanskrit Balika Inter College

Ujjain - Madhya Pradesh



Scanned with OKEN Scanner

(6)

2. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय विभिन्न संस्थागत सांस्कृतिक एवं योजनाएं कार्यक्रमों का संचालन करना।
3. ज्ञान एवं शोध तथा अन्य तत्समय उद्देश्यों में फेलोशिप प्रदान करना।
4. ऐसा हस्त सम्भव कदम उठाना जो न्याय के उपकारी एवं सहायक हो।
5. शासन के मंत्रियों के अनुरूप राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना।
6. समाज के स्वयंसेवायोजनाएं एवं आत्मनिर्भरता करना।
7. गरीब विकलांगों, मूक वधिर, मन्दबुद्धि आदि पुनर्वास हेतु कार्य करना एवं प्रचार प्रसार : विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
8. गरीब अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों एवं योजनाएं प्रत्यक्ष शिक्षा का प्रबन्ध करना निदान एवं उचित दवायें प्रदान करना।
9. महिला उत्पीड़न के क्षेत्र में उन्नत कार्य करते की प्रशंसा करना। उन्हें कानूनी सहायता व रक्षण करना, तथा उनके सर्वांगीण विकास की योजनाएं उन्हें लाभान्वित करने के प्रयास करना।
10. गरीब एवं निराश्रित महिलाओं के कल्याणार्थ को उठाने हेतु योजनाएं एक शिक्षा देना एवं :

13. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा मान्य र तकनीकी शिक्षा एवं शिक्षा की व्यवस्था कर शिक्षण संस्थाओं का संचालन करना।
14. पर्यावरण एवं जल तथा वन्यजीव संरक्षण हेतु :
15. समाज कल्याण विभाग द्वारा जनहित में चला क्रियान्वयन करना एवं सजाज कल्याण हेतु को करना जो समाज व देश के हित में र दैवीय आपदा आने पर पीड़ित व्यक्तियों के शासन प्रशासन द्वारा चलाये गये कार्यक्रम करना।
16. नारतोंच संस्कृत भाषा दर्शन साहित्य कला । प्राच्य विचारों आर्यविज्ञान के सम्बर्धन एवं नूतनता हेतु समय समय पर गोष्ठियों एवं व्या- शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उ प्रकाशन एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना।
17. शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना, प्रौढ़ शिक्षा शिक्षा द्वारा सामाजिक कुटीरियों को दूर व वैज्ञानिक एवं उपयोग जानकारी से अलगत छात्रवृत्ति, पेंशन एवं आर्थिक सहायता, अनुदान स्कूल कालेज, पुस्तकालय, प्रत्यं शैक्षणिक, संस्थानों की स्थापना एवं र प्रमाण-पत्र प्रदान करना।
18. ग्रामीण अंचलों में नागरिकों, बालक-बालिका विकास हेतु प्राथमिक विद्यालय रं लोक

20. तकनीकी शिक्षा हेतु इंजीनियरिंग, आईटी/कालेज की स्थापना करना एवं सफल संचालन
21. लोगों को आत्म निर्भर बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स टेलरिंग, ब्यूटीशियन के क्षेत्र में प्रशिक्षण दलधु एवं कुटीर उद्योग लगाने हेतु शिक्षण एवं करना एवं प्रमाण-पत्र प्रदान करना।
22. व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय की स्थापना
23. विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के तहत लोगों व हॉस्पिटल की स्थापना करना तथा सफल संचालन
24. चिकित्सीय एवं तकनीकी क्षेत्र में विशेष शिक्षा रिसर्च सेंटरों की स्थापना करना तथा सफल
25. शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व विकलांग विद्यालय एवं अन्य विद्यालय की उसके पुर्नवास हेतु पुर्नवास केन्द्र की स्थापना सफल संचालन करना।
26. एड्स कुष्ठ रोग एवं यौन रोग, पोलियो, कैंसर संक्रामक बीमारियों तथा जानलेवा बीमारियों जन जागरण, पीड़ित व्यक्तियों की एवं चिह्न करना।
27. प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, अकाल, भूकम्प एवं दुर्घटना में समय-समय पर पीड़ितों की र
28. पर्यावरण, जल प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग



(9)

31. समय-समय पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन।
32. पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।
33. समाचार-पत्र, पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।
34. सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज उत्पीड़न दौलतशोषण, बाल दौलतशोषण, मादक द्रव्यों व विरुद्ध जनजागरण करना एवं विधिक सहायता।
35. जन समुदाय में राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करना।
36. नव युवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु ढ़ेख प्रदान करना।
37. स्वरोजगार योजना के तहत छात्र सामग्री व ढ़्यान देते हुए छात्र सामग्री का उत्पादन व करना तथा सहकारी समिति का गठन व उपभोक्ताओं तक पहुँचाना।
38. स्वरोजगार के तहत वन औषधि पौधों का संकट उपभोक्ताओं तक पहुँचाना।
39. अनाथ, असहाय बच्चों की देख-रेख, पाठ्यचिक्किता इत्यादि हेतु पुर्नवास की व्यवस्था की अवधारणा में पुर्नवास केन्द्र की स्थापना व
40. महिलाओं एवं वृद्धों हेतु पुर्नवास एवं सेवाश्रम
41. वन्य जीव जन्तु, पक्षी इत्यादि के संरक्षण।

44. असंगठित मजदूरों को संगठित कर नियमित का प्रयास करना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना व करना।
45. क्षेत्रवासियों में स्वावलम्बन एवं आत्मनिर्भर उत्पन्न करते हुए खादी ग्रामोद्योग, आयोग/अनुरूप शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था कर खोलना व संचालन करना।
46. इस संस्था के अन्तर्गत के अन्तर्गत समिति निर्माण करना।
47. सामान्य उद्देश्य से प्रेरित अन्य संभाव्यकतानुसार सम्बद्ध होना एवं उसका उत्तम सदस्यता प्रदान करना।
48. सरकारी, अर्द्धसरकारी, निगमों, संस्थाओं, निर्यात, निगम, लघु उद्योग निदेशालय, मर्ग अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण निगम, अल्पसंख्यक कल्याण निगम तथा अन्य एवं व्यक्तियों के माध्यम से संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं उसके वित्तीय सहायता अलेकर समाज के निर्धन, पिछड़े, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों र स्वावलम्बी बनाना।
50. कृषि क्षेत्र में कृषिक समाज को आर्थिक व आत्मनिर्भर बनाने सरकारी होती को बढ़ावा पति इन तन्त्रों तैयारियों में प्रयोग में ल



Scanned with OKEN Scanner

Manager

Chandni Devi Saraswati Balika Inter College
Ujjain - Madhya Pradesh



Scanned with OKEN Scanner

(11)

52. जल संरक्षण हेतु पोखर, तालाब, झीलें, नहर, तालाब, झीलें की खुदाई व सफाई का न्यास की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग:

आजीवन सदस्य :

जो व्यक्ति न्यास के विकास हेतु एक मु इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगा वह न्यास बनाया जायेगा।

विशिष्ट सदस्य :

जो व्यक्ति समाज का कर्मठ एवं सुयोग्य व को 1001/- रु० एक बार में दान स्वरूप या न्य प्रदान करेगा, न्यास का विशिष्ट सदस्य होगा।

सामान्य सदस्य:

जो व्यक्ति न्यास के विकास हेतु 501/- वह न्यास का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

सदस्यता की समिति : निम्नलिखित

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. प्रगल या दिवालिया घोषित होने पर।
3. न्यास के प्रतिकूल कार्य करने पर।
4. अविश्वास प्रस्ताव अथवा त्याग पत्र व न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
5. लगातार न्यास की तीन बैठकों में अन्तर्गत निवृत्ति रूप से सदस्यता शुल्क न 3

अ. प्र. प्र.
Manager

(12)

बैठके

: साधारण सभा की स
एक बार होगी तथा विर
दिन पूर्व सदस्यों को स
सकती है।

सूचना अवधि

: साधारण सभा की साम
15 दिन पूर्व विशेष बैठ
पूर्व सभी सदस्यों को र
द्वारा भी दी जायेगी।

गणपूर्ति

: साधारण सभा की ग
सदस्यों में से 2/3 स
अनिवार्य होगी।

साधारण सभा के कर्तव्य :

1. प्रबन्धकारिणी स
करना।
2. न्यास का वार्षिक
3. न्यास का वार्षिक
4. न्यास के नियम
संशोधन, परिवर्त
तिहाई सदस्यों :
करना।

प्रबन्धकारिणी दायित्व :

गठन :

साधारण सभा द्वारा
सिन्धुगन्ध मन्त्रालय

अ.प्र.स.वि.

Scanned with OKEN Scanner
Manager
Chandani Devi Sanskrit Balika Inter College
Ujjain - Madhya Pradesh

Scanned with OKEN Scanner

(13)

इस प्रकार कुल संख्या 2 होगी जो आवस
घटाई भी जा सकती है।

सूचना अवधि

: सूचना 24 घन्टे पूर्व
लिखित रूप में दी जाये

गणपूर्ति

: प्रबन्धकारिणी समिति व
2/3 सदस्यों की उपस्थि
अनिवार्य होगी परन्तु
एक बैठक स्थगित होने
दूसरी बैठक के लिए
प्रतिबन्ध न होगा।

दिवस स्थानों की पूर्ति

: प्रबन्धकारिणी समिति
पूर्ति साधारण सभा के
शेष कार्यकाल के लिए

बैठकें:

प्रबन्धकारिणी समिति की
में 4 बार व विशेष है
घण्टे पूर्व देकर सभी र
आवश्यकतानुसार बुलाई

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :

1. न्यास की उन्नति
कार्य।
2. न्यास का वार्षिक
3. न्यास का वार्षिक
4. न्यास का समस्त
पर निर्वाह उज्जना



Scanned with OKEN Scanner

Manager

Dhanwan Devi Saraswati Balika Inter College
Ujhani - Budaun



Scanned with OKEN Scanner

संस्थापक अध्यक्ष, मुख्य न्यासी तथा न्यासी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे।

1. संस्था की नियंत्रक समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना एवं कार्यकृत अनुमोदन करना।
2. संस्था के लिए नीति निर्धारण करना एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
3. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, निष्कासन आदि की स्वीकृति प्रदान करना।
4. संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों की देख रेख करना।
5. संस्था के संगठनात्मक ढाँचे का स्वरूप निर्धारित करना व विभिन्न पदाधिकारियों के कर्तव्य/अधिकार सुनिश्चित करना।
6. संस्था के केन्द्रीय बजट स्वीकृत करना।
7. संस्था के सफल संचालन हेतु नियम, उपनियम, संशोधन पारित करने के सर्वोच्च अधिकार।
8. संस्था के गठन/निर्वाचन/मनोनयन/निष्कासन के सर्वोच्च अधिकार।
9. संस्था के प्रचार/प्रसार/विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
10. संस्था के पदाधिकारियों/समितियों के अधिकार एवं कर्तव्य निश्चित करना। अधिकार प्रदान करने के सर्वोच्च अधिकार।
11. वित्तीय नियंत्रण एवं आय, व्यय अभिलेखों की अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने के सर्वोच्च अधिकार।
12. संस्था की ओर से अथवा विरुद्ध किसी भी मामले की स्वयं पैरवी करना अथवा अन्य अधिकारी को अधिकृत करना।
13. संस्था के विकास एवं उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य सभी अधिकार जो समय-समय पर आवश्यक है।
14. विवाद की स्थिति में संस्था का गठन/पुनर्गठन/विखण्डन आदि संबंधित समस्त अधिकार।

जयपाल सिंह

क्रमशः

अ. ग. ज. सिंह

Manager

Dhanwati Devi Sanskriti Balika Inter College
Ujhani - Budaun

आवेदन सं०: 202200821084706

न्यास पत्र

वही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 952

वर्ष: 2022

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य- 0 पंजीकरण शुल्क- 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क- 100 योग: 200

श्री जगपाल सिंह, *जगपाल सिंह*
पुत्र श्री रामपाल सिंह
व्यवसाय: अन्य
निवासी: 6बी/41, बढपुर-3, आवास विकास कालोनी, फरूखाबाद, उ0प्र0-
209625



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 15/11/2022 एवं 01:31:23 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कामना राम

उप निबंधक : सदर तृतीय
लखनऊ

15/11/2022

दिनेश शंकर बाजपेयी

निबंधक लिपिक

15/11/2022

प्रिंट करें

अंशुप्रति

Manager

Scanned with OKEN Scanner
Ujhani - Badaun

आडीटर के अधिकार :-

संस्था के आय-व्यय का ऑडिट करना।

न्यास के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से न्यास के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन किया जायेगा।

न्यास का कोष :

न्यास का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस या निजी बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जो मुख्य न्यासी/अध्यक्ष अथवा न्यासी के हस्ताक्षर से निकाला जायेगा।

न्यास के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :

न्यास के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सक्षम आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

उक्त ट्रस्ट डीड के द्वारा कोई भी अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं किया जा रहा है।

न्यास द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :

न्यास द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व न्यास के अध्यक्ष पर होगा या उसके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति पर होगा।

न्यास के अभिलेख :

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. स्टॉक रजिस्टर
4. कैश बुक आदि

क्रमशः

अ. प्र. प्र. प्र.

अ. प्र. प्र. प्र.

Manager

Dharmdevi Devi Saraswati Balika Inter College
Ujhani - Budana

आवेदन सं०: 201200821084706

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 952

वर्ष: 2022

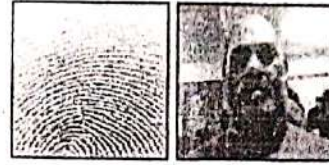
निष्पादन लेखापत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त न्यासी: 1

श्री जगपाल सिंह, पुत्र श्री रामपाल सिंह

निवासी: 6वी/41, बडपुर-3, आवास विकास कालोनी,
फर्रुखाबाद, उ०प्र०-209625

व्यवसाय: अन्य

जगपाल सिंह



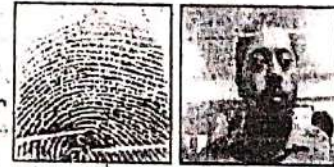
ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री अनुभव रस्तोगी, पुत्र श्री हरि ओम रस्तोगी

निवासी: सी-40, सेक्टर-सी, अलकापुरी कालोनी,
अलीगंज, लखनऊ

व्यवसाय: अन्य

Anubhav Rastogi



पहचानकर्ता: 2

श्री पवन कुमार, पुत्र श्री संतोष कुमार

निवासी: 60, ग्राम-कमलापुर, पोस्ट-कुआ खेडा, कुवा
खेरा, कानपुर नगर, कुवान्हेरा, उ०प्र०

व्यवसाय: अन्य

पवन कुमार



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कामेश्वर राय

उप निबंधक: सदर तृतीय
लखनऊ
15/11/2022

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे
नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:

दिनेश शंकर बाजपेयी
निबंधक लिपिक लखनऊ
15/11/2022

प्रिंट करें

अंशु सिंघ

Manager

Dharmwati Devi Saraswati Balika Inter College
Ujhani - Budaun

विदित हो कि ट्रस्ट में कोई सम्पत्ति सम्मिलित नहीं है। जिस पर नियमानुसार रूपरा 1,000/- का स्टाम्प पेपर ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र संख्या-IN-UP-46520492442393U दिनांक-10.11.2022 के माध्यम से अदा किया जा रहा है।

अतः यह ट्रस्ट/न्यास विलेख समझा गया। गवाहान स्वस्थ धित्त मन से बिना किसी बाजारज जोर दबाव के पढ़/सुनकर व खूब सोच-समझकर, स्वस्थ हृदयों की दशा में लिख दिया कि सनद रहे और यथा जरूरत पर काम आवे।

स्थान-लखनऊ

दिनांक : 15.11.2022

ह0 न्यासकर्ता



1. *Anubhav Rastogi*
नाम: अनुभव रस्तोगी
पुत्र श्री हरि ओम रस्तोगी
पता:-सी-40, सेक्टर-सी,
अलकापुरी कालोनी, अलीगंज,
लखनऊ।

जगपाल सिंह
(जगपाल सिंह)
मो0-8318592390



2. *पवन कुमार*
नाम: पवन कुमार
पुत्र श्री संतोष कुमार
पता: 60, ग्राम-कमलापुर, पोस्ट-
कुंआ खेड़ा, कुवा खेरा, कानपुर
नगर, कुवान्खेरा, उ0प्र0।

ह0 टाईपकर्ता

Sany
(सोनू बालाजी)
कलेक्ट्रेट, लखनऊ

प्रालेखक
W. S. Sanyal
(के0के0 जायसवाल)
एडवोकेट
कलेक्ट्रेट परिसर, लखनऊ
मो0नं0-9415158190